राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (13) शिक्षा–4/2005 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 12/X/2020

सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं में एम.बी.बी.एस, एम.डी. आदि में प्रवेश के संबंध में चेतावनी

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली ने राज्य सरकार को अवगत कराया है कि सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं की वेबसाईट के अवलोकन एवं उसके द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा मोडर्न मेडिसिन से संबंधित विभिन्न कोर्सेज यथा एम.बी.बी.एस, एम.डी. एवं डिप्लोमा मेडिसिन आदि बिना केन्द्र सरकार/बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से पूर्व अनुमति के संचालित कर रहा है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसे अनरिकोग्नाईज्ड डिग्री धारक मेडिसिन के लिये प्रेक्टिस हेतु रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं कर सकते। परिषद का यह भी मत है कि सिंघानियां विश्वविद्यालय निर्दोष विद्यार्थियों के साथ–साथ राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं विनियमन निकायों के साथ भी धोखाधडी कर रहा है।

अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को आगाह किया जाता है कि वे सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं द्वारा अनधिकृत रूप से संचालित एम.बी.बी.एस., एम.डी., डिप्लोमा मेडिसिन आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं लेवें।

Sd/-
(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली को उनके पत्र कमांक 112795 दिनांक 03.08.2020 के संदर्भ में।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इसे विज्ञप्ति के रूप में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवावें।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस चेतावनी को विभाग की वेबसाईट पर मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित करें।
5. कुलसचिव, सिंघानियां विश्वविद्यालय, पचेरी बडी, झुन्झुनूं को प्रेषित कर लेख है कि बिना मान्यता एवं सम्बद्धता/अनुमति के किसी पाठ्यकम में कोई प्रवेश नहीं देवें अन्यथा विद्यार्थियों के साथ हुई किसी भी प्रकार की धोखाधडी के लिये विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा